रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी

पहुज बांध के पास झांसी–ग्वालियर मार्ग झांसी – 284003 (उ0–प्र0)

पत्रांक : आर0एल0बी0सी0ए0यू0 / (आर) / 668 / 2017 दिनांक : .01 / 07 / 2017

कुटेशन / विज्ञप्ति

इस विश्वविद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र 2017–18 माह जुलाई से प्रारम्भ होने जा रहा है। जिसमें नव प्रवेशित एवं अध्यनरत छात्र / छात्राओं के एक वर्षीय दुर्घटना बीमा एवं मेंडीक्लेम को लागू किया जाना है, जिसके लिये प्रतिष्ठित बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम किस्त एवं छात्र / छात्राओं को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ वित्तीय एवं तकनीकी कोटेशन सील बन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 22 / 07 / 2017 तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

नियम व शर्ते

1. बीमा कम्पनी द्वारा उपल्ब्ध कराये गये फार्म छात्र / छात्राओं से दो प्रतियो में भराये जायेगे जिसकी एक प्रति सम्बन्धित फर्म तथा एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
2. पंजीकरण के दिन सम्बन्धित फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थित अनिवार्य होगी ।
3. पंजीकरण के दिन सायंकाल 3.30 बजे तक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण रूप से तैयार की गयी सूची के अनुसार छात्रों द्वारा जमा की गयी धनराशि देते ही उक्त दिवस की मध्य रात्रि से छात्र दुर्घटना बीमा एवं मेंडीक्लेम लागू हो जायेगा यदि तत्काल ही किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या छात्र / छात्रा बीमार पडता है, तो छात्र को कम्पनी द्वारा लाभ देय होगा। कम्पनी द्वारा जमा करायी गयी किस्त की प्राप्ति रसीद छात्र / छात्राओं को देना अनिवार्य होगा।
4. छात्र / छात्राओ को मिलने वाली धनराशि, दुर्घटना बीमा एवं मेंडीक्लेम का संचालन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा संम्पादित किया जायेगा । यह योजना प्रत्येक संकाय, कृषि, वानिकी, एवं हार्टीकल्चर में चल रहे सभी पाठ्क्रमों हेतु सामान रूप से लागू होगी।
5. बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक छात्र / छात्राओं को मेंडीक्लेम कार्ड पंजीकरण के उपरान्त अधिकतम 10 दिनो के अन्दर ही प्रदान करना अनिवार्य होगा ।
6. बीमा कम्पनी द्वारा छात्र / छात्राओं के हित में जनपद झांसी के चयनित अस्पतालों की सूची जिसमें कैशलेश सुविधा हो को बीमा वाले दिन ही उपलब्ध करानी होगी ।
7. बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय आ कर छात्र / छात्राओं की मेंडीक्लेम सम्बन्धी कार्य की जानकारी लेना अनिवार्य होगा ।

(मुकेश श्रीवास्तव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ

(मुकेश श्रीवास्तव)
कुलसचिव